गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर – 495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260017 फैक्स : 07752-260154
वेबसाइट : www.ggu.ac.in

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)
(A Central University established by the Central Universities Act, 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone 07752-260017, FAX : 07752-260154
Website : www.ggu.ac.in

क्र. 113....../प्रशा./स्था./2016,

बिलासपुर, दिनॉक 14-01-2016

आदेश

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, द्वितीय अनुसूची के परिनियम कमांक 3 (4) में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, नारेबाजी, दुष्प्रयोजन से ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में तालाबंदी, शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एवं विद्यार्थियों को भयभीत करना या आंदोलन धरना प्रदर्शन हेतु उकसाना, विश्वविद्यालयीन कार्यों को बाधित करना या ऐसा कोई भी कृत्य करना जिससे विश्वविद्यालय का कार्य प्रभावित हो तथा अध्ययन/अध्यापन/शोध कार्य बाधित हो, विश्वविद्यालय परिसर में शांति भंग हो आदि कृत्यों को विश्वविद्यालय परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है।

इस आदेश की अवहेलना करने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ. क्र. 114....../प्रशा./स्था./2016,

बिलासपुर, दिनॉक 14-01-2016

प्रतिलिपि :–

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति/कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जिलाधीश, जिला–बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. पुलिस अधीक्षक, जिला–बिलासपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. थाना प्रभारी, थाना कोनी, बिलासपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ एवं इस आशय के साथ कि इस आदेश से अपने अधीनस्त/कार्यरत समस्त संबंधितों को अवगत कराने का कष्ट करेंगें।
08. मुख्य कुलानुशासक, अधिष्ठाता छात्रकल्याण/प्रभारी केन्द्रीय सुरक्षा अनुभाग/सहायक सुरक्षा अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. विश्वविद्यालय वेबपटल, प्रभारी/जनसंपर्क अधिकारी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यालय प्रति/निजी नस्ती।

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)